न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 26 / 2020

1 रामेश्वर पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र काना।
2 शिवपाल पुत्र काना।
3 गोपाल पुत्र काना समस्त जाति जाट निवासीगण बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरुद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़
बइजलास श्री जगदीश प्रसाद गौड़ आर.ए.एस. प्रकरण
संख्या 379 / 2013 दावा उनवानी बनवारीलाल आदि बनाम
रामेश्वर आदि दिनांकित 12.12.2015

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 01.10.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 379/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ जिला सीकर के समक्ष अपीलाधीन वाद संख्या 379/2013 उनवानी बनवारीलाल आदि रामेश्वर आदि विरूद्व अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 बाबत बंटवारा, उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमियों हाल खसरा नम्बर 1194 रकबा 1.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1196 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1198 रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1199 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.91 हैक्टेयर का बाहमी बंटवारे के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन वाद में पक्षकारान की समस्त भूमियों को शामिल नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय मे पत्रावली दिनांक 04.09. 2015 को प्रतिवादी का जवाब दावा पेश होने पर वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसा निर्णय विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सम्मत नही माना जा सकता है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन वाद में पक्षकारान की समस्त भूमियों को शामिल नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय मे पत्रावली दिनांक 04.09.2015 को प्रतिवादी का जवाब दावा पेश होने पर वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर